219
220

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र सी–6–4/2009/3/एक भोपाल, दिनांक 6 नवंबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक/न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थायीकरण।

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. F/C–6–2/94/3/एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं परिपत्र क्र. सी–6–2/2006/3/एक, दिनांक 11/09/2007 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं परंतु इन निर्देशों का पालन न करते हुये नियम विरुद्ध पदोन्नति/स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शासन के ध्यान में आया है कि एक प्रकरण में शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित रहते हुए उसे पदोन्नति प्रदान की गई जबकि ऐसे मामलों में समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने के निर्देश हैं। उपरोक्त त्रुटि के लिए सक्षम अधिकारी को विभागीय जांच की जानकारी का न होना बताया गया है। ऐसी घटनायें प्रशासकीय दृष्टि से नितांत अवांछनीय है।

2/ शासकीय सेवकों के निलंबन, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश की जानकारी संबंधित स्थापना शाखा में उपलब्ध रहती है। स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य है कि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष शासकीय सेवकों के निलंबन, उनके विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश आदि की सही जानकारी प्रस्तुत करें। उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि **"उनके द्वारा पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में सम्मिलित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, दण्डादेश एवं निलंबन आदि के संबंध में सही जानकारी दी गई है"** उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उपलब्ध करायी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाये तो संबंधित स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

निरंतर....

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. सी–6–4/2009/3/एक, भोपाल दिनांक 6 नवंबर, 2009

प्रतिलिपिः

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग